विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2023/ 703 दिनांक :- 25/05/2023

-:: अधिसूचना ::-

यह अधिसूचित किया जाता है कि पूर्व प्रसारित अधिसूचना क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2022/1587 दिनांक 27.07.2022 की निरंतरता में अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय से प्राप्त पत्र क्रमांक 227/22/सी.सी./2023/38, भोपाल, दिनांक 28.03.2023 के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में औपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा मोड दोनो को शामिल करते हुए सीखने के कई रास्ते उपलब्ध कराने के अनुक्रम में विद्यार्थियों को एक साथ दो अकादमिक कार्यक्रम में अध्ययन करने की सुविधा हेतु निम्नानुसार प्रावधानित किया गया है:-

(1) एक छात्र फिजिकल मोड में दो पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम कर सकता है, बशर्ते कि ऐसे मामलों में, एक कार्यक्रम में कक्षा के समय दूसरी कक्षा के समय के साथ ओवरलैप नहीं करता हो।

(2) एक छात्र दो शैक्षणिक कार्यक्रमों में भाग ले सकता है, एक पूर्णकालिक फिजिकल मोड में दूसरा मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ODL /ऑनलाइन मोड में या एक साथ अधिकतम दो ODL / ऑनलाइन कार्यक्रम)।

(3) ODL /ऑनलाइन मोड के तहत डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रम केवल ऐसी उच्च शैक्षणिक संस्थान (HEIS) से किए जा सकेंगे जो यू.जी.सी./सांविधिक परिषद/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हों।

(4) इन दिशा निर्देशों के तहत डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रम यू.जी.सी. और संबंधित सांविधिक/पेशेवर परिषदों द्वारा अधिसूचित विनियमों द्वारा शासित होंगे।

(5) यह दिशा निर्देश अकादमिक सत्र 2022-23 से प्रभावी होंगे। इन दिशा निर्देशों की अधिसूचना जारी दिनांक 13 अप्रैल 2022 से पहले किसी भी माध्यम से (पूर्णकालिक/ODL/ऑनलाईन) एक साथ दो अकादमिक कार्यक्रम कर चुके विद्यार्थी पूर्वव्यापी लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

(6) उपरोक्त दिशा निर्देश पी-एच.डी. के अलावा अन्य अकादमिक कार्यक्रम करने वाले विद्यार्थियों पर लागू होगी।

(7) यू.जी.सी. द्वारा जारी उपरोक्त दिशा निर्देशों के आधार पर विश्वविद्यालय अपने यू.टी.डी. के विद्यार्थियों को एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रम का प्रावधान अपने वैधानिक निकायों के माध्यम से मैकेनिज्म तैयार कर सकेंगे।

आदेशानुसार

कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2023/ 704 दिनांक :- 25/05/2023

प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
02. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, सतपुडा भवन, भोपाल।
03. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, शा.माधव विज्ञान महाविद्यालय,उज्जैन।
04. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्रभारी,समस्त अध्ययनशाला,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
05. प्राचार्य, समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र।
06. कुलानुशासक/विद्यार्थी कल्याण विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
07. प्रभारी ऑनलाईन सेंटर, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
08. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन कृपया अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रसारित करें।
09. उप/सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
10. कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निज सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)